न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2017 (P.D.R.)

श्री अनवर खां पिता श्री सिकन्दर खॅा जाति मुसलमान निवासी सिन्धी कॉलोनी बांसवाड़ा तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

..........अपीलान्ट

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड बांसवाड़ा (राज0)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 23–A पी0 डी0 आर0
एक्ट विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा दिनांक 30–06–2017 प्रकरण संख्या
4/2017 (PDR Act.)

———::———

उपस्थित :– 1– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट
2– राजकीय अधिवक्ता

———::———

निर्णय **दिनांक 16–07–2016**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा के यहां प्रकरण संख्या 1/2011 निर्णय दिनांक 24–6–2011 से एक प्रकरण अपीलान्ट के विरूद्ध PDR Act.के तहत दर्ज होकर प्रकरण यह था कि :– ''**महुड़ी खेड़ा सिंचाई परियोजना के दाई मुख्य नहर का कार्य करने के लिए श्री अनवर खान पिता सिकन्दर खान को कार्यदेश दिया गया है एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 1–6–2006 अनुसार उसे दिनांक 15–6–2006 से कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 14–12–2008 तक पूर्ण करना था। इस हेतु ठेकेदार ने विभाग के साथ अनुबन्ध संख्या 5 सम्पादित की, किन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने से पत्र दिनांक 2–9–2006 के द्वारा 10 दिवस में कार्य प्रारम्भ कर निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने सूचित किया गया था। ठेकेदार को ले–आउट प्लान दिनांक 20–6–2006 से 22–6–2006 की अवधि में दे दिया गया था, लेकिन लगभग 3 महीनों से वर्षा होने के कारण ठेकेदार ने कार्य**

प्रारम्भ नहीं करना बताते हुए वर्षा समाप्त होते ही कार्य प्रारम्भ करने निवेदन किया। उसके पश्चात विभाग द्वारा पत्र दिनांक 20—9—2006, 31—9—2006, 8—11—2006 एवं 18—12—2006 के द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की सूचना दी गयी, उसके बावजूद भी ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने कि कोई प्रयास नहीं किये गये, इस कारण अंतिम नोटिस दिनांक 22—12—2006 को दिया जाकर 10 दिवस में कार्य करने हेतु लिखा गया एवं कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर अनुबन्ध की धारा 2 एवं 3 (सी) के तहत कार्यवाही करते हुए उसके हर्जे—खर्चे पर कार्य अन्य ठेकेदार से पूर्व कराने सूचित किया गया, किन्तु इस बाद भी ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने से अनुबन्ध की धारा 2 एवं निविदा शर्तो के तहत कार्यवाही करते हुए अनुबन्ध की राशि पर 2 प्रतिशत धरोहर राशि जब्त करते हुए धारा 32 के तहत कार्य वापस लिया गया। विभाग का यह भी कथन है कि इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी ठैकेदार द्वारा राशि जमा नहीं करवायी जा रही है, इसलिए राशि रूपया 1,74,294/— की वसूली PDR Act. **के तहत की जावे"।**

अधिनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण पर बाकीदार ने खण्डन का जवाब पेश किया तथा कार्य नहीं किये जाने का कारण बताया एवं विभाग द्वारा अन्य आवेदक से कम दर पर कार्य करवा लेने के कारण विभाग को कोई क्षति नही हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 1/2011 में उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 24—6—2014 से अपीलान्ट से कुल रूपये 1,91,674/—वसूली के अदेश दिये।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 2/2014 (पी.डी.आर.) पेश की। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21—12—2016 को निर्णय पारित करते हुए निम्नानुसार निर्णय पारित किया :—

"जहां तक विभाग द्वारा वसूली का आवेदन जो जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वह मूलतः अनुबन्ध की धारा—2 के तहत अपीलान्ट की रिस्क कोस्ट के कारण क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली के लिए है। वस्तुतः अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से पूरी तरह से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को उक्त कार्य 18.2 प्रतिशत above से दिया गया, वहीं

उक्त कार्य के अन्य निविदा दाता को 18 प्रतिशत above पर दिया गया है। अर्थात जो कार्य अपीलान्ट को आवंटित हुआ था उसे कम दर पर अन्य ठेकेदार से कार्य करवाया गया है, फिर विभाग को किस प्रकार से क्षति हुई है तथा विभाग किस प्रकार क्षति पूर्ति का अधिकारी है, इस बाबत् विभाग द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानून की मूल मंशा जिसमें बकाया राशि के औचित्य का निर्धारण कर वसूली किये जाने के निर्देश दिये गये है, उस पर कोई विवेचन नहीं की गयी है।

वस्तुतः अधिनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट के उक्त उजर कि कम दर पर अन्य ठेकेदार से कार्य करवाने पर भी रिस्क कोस्ट के आधार पर किसी प्रकार विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि अपीलान्ट पर तय की है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचन नहीं किया है एवं बिना विवेचन के वसूली के आदेश दे दिये है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

तद्नुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्ण्य दिनांक 24–6–2014 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनने के बाद विभाग को किस प्रकार से क्षति हुई है तथा उक्त क्षति पूर्ति का विभाग अपीलान्ट से किस प्रकार से प्राप्त करने अधिकारी है, इस बाबत् विवेचन करते हुए पुनः निर्णय पारित करें"।

इस न्यायालय के प्रतिप्रेषण आदेशो के कम में अधिनस्थ न्यायालय में पुनः प्रकरण संख्या 4/2017 के रूप में दर्ज हुआ तथा अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषण आदेशों के कम में अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 30–6–2017 से अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाड़ा के निर्णय को यथावत रखते हुए वसूली 1,91,674/– वसूल किये जाने का आदेश पारित किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30–6–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 1–9–2017 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया तथा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने की प्रार्थना की। वही रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने अनुबन्ध के अनुच्छेद–2 के लिए क्षतिपूर्ति के आधार पर ही निर्णय पारित कर दिया है। अपीलान्ट की कार्य नहीं कर पाने की परिस्थितियों पर कोई विवेचन नहीं किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में निम्नानुसार विवेचन किया है :–

"जबकि माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा सहवन से Clause 3: Risk & Cost Clause के मद्देनजर उक्त विवेचना की गई है।

वस्तुतः विभाग द्वारा वसूली Risk & Cost के Clause अन्तर्गत नहीं की जाकर delay के Clause (2) के अनुसार ही की गई है, एवं अप्रार्थी द्वारा पूरा समय व्यतीत हो जाने के बावजूद कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया एवं इस हेतु किसी प्रकार के व्यवधान किसानों का विरोध अथवा ले आउट नहीं देने के सम्बन्ध में विभाग को किसी प्रकार से सूचित भी नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा जानबुझकर करार की शर्त संख्या 3 का पालन नहीं किया गया। अतः विभाग ठेकेदार से नियमानुसार राशि वसूल करने का अधिकारी है"।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनुबन्ध के अनुच्छेद 2 को भी निर्णय में उद्धत किया है। हमारे द्वारा दिनांक 12–1–2011 को जो डिमाण्ड नोट पत्र

क्रमांक 9319 से अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जिला कलक्टर को भेजा गया है उसमें वस्तुतः डिमाण्ड अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के तहत भिजवाया गया है। वस्तुतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैसा विवेचन किया गया है तथा पत्रावली के पुनः आद्योपान्त अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि जो डिमाण्ड कायम नहीं हुई है। विलम्ब के लिए अपीलान्ट द्वारा दिये गये आधार न तो औचित्यपूर्ण है न ही सिंचाई विभाग द्वारा दिये गये नोटिस के विरूद्ध अपीलान्ट का कोई प्रभावी जवाब उपलब्ध है। सार्वजनिक धन से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सार्वजनिक संपदा सृजन किये जाने पर यदि रिस्क व कोस्ट से कार्य करवाने पर सरकार को हानि नहीं होती तो भी अनुबन्ध के अनुच्छेद 2 अनुसार अकारण विलम्ब के लिए अनुबन्ध अनुसार विलम्ब शास्ती लेना औचित्यपूर्ण एवं विधिक है।

उपरोक्तानुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–6–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16–07–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल. एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर